RBE NO. 70 /2011

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAY)
RAILWAY BOARD

No.E(D&A) 2010 GS1-7 New Delhi, dated: 19.5.2011

The General Manager (P),
All Indian Railways and
Production Units etc.,
(As Per Standard List).

Sub: Holding of formal/ informal functions by Railway servants - involvement of private person, firm, company, organization, etc. - regarding.

In terms of note 2 below rule 13(1) of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, a Railway servant shall avoid accepting lavish or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc. having official dealing with him. Further, a Railway servant is expected to avoid the familiarity arising out of private hospitality.

2. A case has recently come to the notice of Board where a group of Railway officers arranged a function in a reputed private hotel to bid farewell to a senior Officer retiring on superannuation. Though the function was purportedly arranged on contribution from the Railway Officers, a substantial amount was paid by a private party towards the expenditure for holding the function.

3. Board desire that all Railway servants should follow the extant rules on the subject scrupulously and violation, if any, will be viewed seriously inviting strict punitive action.

4. Please acknowledge receipt.

(Harish Chander)
Dy.Director Establishment(D&A)
Railway Board

Contd..2/-

आरबीई सं. 70 /2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए) 2010 जीएस 1-7 नई दिल्ली, दिनांक: 19 .05.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे कर्मचारियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले औपचारिक/अनौपचारिक समारोहों में निजी व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संगठनों आदि के शामिल होने के संबंध में।

रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 13 (1) के नीचे नोट 2 के अनुसार, रेलवे कर्मचारी ऐसे किसी व्यक्ति, औद्योगिक अथवा वाणिज्य फर्म, संगठन आदि जिनके साथ उनकी सरकारी डीलिंग है, से ऐसे आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा जिनमें भारी शान-शौकत और खर्च अंतर्निहित हो और न ही वह बार-बार किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार करेगा। इसके अलावा, रेलवे कर्मचारी से यह भी आशा की जाती है कि वह निजी आतिथ्य से होने वाली घनिष्ठता से बचे।

2. हाल ही में बोर्ड के ध्यान में एक मामला आया है जिसमें रेलवे अधिकारियों के एक ग्रुप ने अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ अधिकारी को विदाई देने के लिए एक प्रतिष्ठित प्राइवेट होटल में समारोह की व्यवस्था की। हालांकि रेलवे अधिकारियों के अंशदान से समारोह की व्यवस्था की गई, परंतु वास्तव में समारोह आयोजित करने के खर्च के लिए एक निजी पार्टी द्वारा प्रचुर राशि का भुगतान किया गया था।

3. बोर्ड वांछा करता है कि सभी रेलवे कर्मचारी इस विषय पर वर्तमान नियमों का कड़ाई से अनुसरण करें और उल्लंघन, यदि कोई हुआ तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा तथा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4. कृपया पावती दें।

ह/-
(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक, स्था (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड

ESST-E (D&A)